

उप कृषि निदेशक, पीलीभीत ।  
जन सूचना के अधिकार के अन्तर्गत 16 विन्दुओं पर सूचना

क्र०सं०	बिन्दु	बिन्दुवार सूचना
1	अपने संगठन की विशिष्टियों, कृत्य और कर्तव्य	किसानों को उत्पादन बढ़ाने हेतु उन्नत कृषि तकनीकी उपलब्ध कराने हेतु कृषक जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषक जागरूकता मेला, कृषि गोष्ठियाँ एवं प्रदर्शनी का आयोजन कराया जाना, कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रमाणित बीज, उर्वरक, उन्नतशील कृषि यंत्र आदि कृषि निवेशों की आपूर्ति पर शासन द्वारा देय अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य एवं कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु फसल उत्पादन तकनीकी प्रदर्शन, मिनीकिट प्रदर्शन, खण्ड प्रदर्शन, एकीकृत जीवनाशी प्रबन्धन प्रदर्शन, कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु अधिक उत्पादन करने वाले कृषकों को पुरस्कृत करना एवं उन्नत कृषि तकनीकी, जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्मी एवं नैडप कम्पोस्ट पिट तैयार कराकर कृषकों को अनुदान वितरित कराना, संतुलित उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु मुख्य पोषक तत्व एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की जाँच हेतु कृषकों के खेतों से मृदा नमूने ग्रहित करना एवं समयानुसार सुझाव पत्र कृषकों को उपलब्ध कराना, तथा आइसोपॉम योजना के अन्तर्गत कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान पर कृषि रक्षा उपकरण एवं कृषि यंत्र कृषकों को उपलब्ध कराना एवं उन्नत कृषि तकनीकी का प्रचार/प्रसार का कार्य किया जाता है। उक्त कार्यों से सम्बन्धित पाक्षिक एवं मासिक प्रगति सूचनायें संयुक्त कृषि निदेशक, बरेली मण्डल बरेली के माध्यम से कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश एवं शासन को प्रेषित की जाती है।
2	अपने अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य	कर्मचारी एवं अधिकारी, राज्य सरकार के अधीन कार्यरत राजकीय एवं शासकीय कार्य सम्पन्न करते हैं।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली, प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	कम से निम्न अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत है। उप कृषि निदेशक, उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, तहसील स्तर पर, अपर उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, विषय वस्तु विशेषज्ञ, सहायक विकास अधिकारी, (कृषि), किसान सहायक, लेखाकार, कार्यालय सहायक, चतुर्थ श्रेणी, कर्मचारी आदि कार्यरत है। शासन द्वारा संचालित कार्यक्रम का संचालन/ निरीक्षण /पर्यवेक्षण किया जाता है। कार्यालय कृषि भवन कलेक्ट्रेट परिसर पीलीभीत में स्थित है।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान	उप कृषि निदेशक, नियन्त्रण अधिकारी का पद सृजित है जिसके नियन्त्रण में, उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, तहसील स्तर पर, अपर उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, विषय वस्तु विशेषज्ञ, सहायक विकास अधिकारी, (कृषि), किसान सहायक, लेखाकार, कार्यालय सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, रहकर शासकीय कार्य सम्पन्न करते हैं।
5	अपने नियन्त्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।	संस्था द्वारा उप कृषि निदेशक, नियन्त्रण अधिकारी का पद सृजित है जिसके नियन्त्रण में, उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, तहसील स्तर पर, अपर उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, विषय वस्तु विशेषज्ञ, सहायक विकास अधिकारी, (कृषि), किसान सहायक, लेखाकार, कार्यालय सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यरत है, को शासनादेश एवं पूर्व घोषित नियमावली के अनुसार कार्य करते हुये अभिलेख सुरक्षित रखे जाते हैं।
6	ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये हैं अथवा उनके नियन्त्रण में है।	शासन द्वारा प्रदत्त अभिलेख पूर्ण कर सुरक्षित रखे जाते हैं, और नियमानुसार अवलोकन एवं कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है।
7	किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।	इस संस्था की एक योजना (आइसोपॉम योजना) जो जिला योजना से अनुमोदित की करायी जाती है। प्रगतिशील किसान मित्र योजना के अन्तर्गत प्रगतिशील किसान मित्र का चयन सम्बन्धित ग्राम पंचायत की नियोजन एवं विकास समिति के माध्यम से किया जाता है। किसान मित्रों को शासन द्वारा देय मानदेय का भुगतान किया जाता है।
8	बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हो और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गयी हो और यह विवरण की क्या इन बोर्डों/परिषदों/समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगो के लिए खुली हैं अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगो के लिए सुलभ है।	जिला प्रशासन की बैठक में शासन की मंशा के अनुरूप समस्त जन प्रतिनिधियों की राय/सुझाव लिए जाते हैं तदनुसार कृषि कार्यक्रम का संचालन किया जाता है।
9	अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका	इस संस्था के कर्मचारी राज्य सरकार के नियन्त्रण में कार्यवाही सुनिश्चित करते हैं और राज्य सरकार के निर्गत निर्देशों का पालन करते हैं।
10	अपने प्रत्येक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हों।	विभागीय नियमावली के अनुसार कर्मचारियों के मासिक तथा त्रैमासिक आकड़े संयुक्त कृषि निदेशक बरेली मण्डल, बरेली तथा कृषि निदेशक को उपलब्ध कराया जाता है।
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।	इस संस्था का बजट जिला योजना, राज्य योजना के अन्तर्गत आइसोपॉम योजना में, फसल कृषि कर्म आयोजनेत्तर (कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनियों), किसान मित्र योजना, कृषि यंत्रीकरण योजना, मैक्रोमेनेजमन्ट ऑफ एग्रीकल्चर के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में धान्य फसल उत्पादन बढ़ाने की योजना, तकनीकी हस्तान्तरण की योजना, जैविक उर्वरक को प्रोत्साहन योजना, कृषि सूचना तन्त्र के सुदृढीकरण एवं कृषक जागरूकता, किसान विद्यालय, बीज ग्राम योजना, मृदा स्वास्थ्य सुधार योजना, कृषक

(हरेन्द्र कुमार उपाध्याय)  
उप कृषि निदेशक,  
पीलीभीत।

शासनादेश संख्या 556 / 43-2-2008-15 / 02(3) / 2007 टीसी दिनांक  
06-06-08 का सलग्नक

कार्यालय का नाम :- उप कृषि निदेशक कार्यालय, पीलीभीत ।

क्रं0 स0	विभाग तथा विभाग के नियंत्रणाधीन/अधीनस्थ कार्यालय /सार्वजनिक निगम/ उपक्रम/ परिषद/बोर्ड/संस्था का नाम	अधिनियम की धारा 4(1) (बी)के अर्न्तगत तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड किये गये मैनुअल की संख्या	अवशेष मैनुअल की संख्या	अवशेष मैनुअल पूर्ण करने की तिथि
1	2	3	4	5
1	कृषि विभाग (उप कृषि निदेशक)	16	0	0

उप कृषि निदेशक,  
पीलीभीत ।